संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र. / प्रशि / 2016 / 294 भोपाल, दिनांक 11 / 08 / 2016

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः—अभिहित अधिकारी का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषय में लेख है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अभिहित अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इस कार्य हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.2: (ii) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से विनिर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है।

इस हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली, भारत सरकार के विषय विशेषज्ञों द्वारा दिनांक 22.08.16 से 24.08.16 तक की अवधि में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, एवं अनुपस्थिति की स्थिति में वे अभिहित अधिकारी के कर्तव्यों से मुक्त हो जायेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप **दिनांक 22.08.16 को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजित उक्त प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।**

(डॉ. बी.एस. ओहरी)
संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. / प्रशि / 2016 / भोपाल, दिनांक / 07 / 2016

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त खाद्य सुरक्षा, म.प्र. की ओर आपके पृ.क्र. 4315 दिनांक 05.08.16 के संदर्भ में।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. की ओर उनके अधीन जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देश जारी करने हेतु ।

संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश